न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 07/2021

सुशील कुमार पुत्र नारायणलाल जाति महाजन, निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये योग्य नायब तहसीलदार, गुढा गोड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राज0।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2019 न्यायालय नायब तहसीलदार,
गुढा गोड़जी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुनील कुमार
मु0नं0 81/ 2016 धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थिति:–

1 श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट ------ - -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट---------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 08.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुनिल कुमार मु0नं0 81/2016 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–पटवारी हल्का दुड़िया ने संवत 2073 में नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा ग्राम टोडी के खसरा नंबर 711 रकबा 0.2331 हैक्टर किस्म बंजड़ में से रकबा 0.005 हैक्टर पर सुनील कुमार ने पक्की सीढियों का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को तथा कथित नोटिस जारी किये। उक्त तथा कथित नोटिस कभी भी अपीलांट को नहीं मिले। अधीनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.11 18:44:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की बिना तामील ही प्रार्थी को अनुपस्थित दिखाकर एक पक्षीय आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर दिनांक 09.10.2019 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार खसरा नंबर 711 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव के कारण गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि को क्रय किया है तथा उसके पश्चात खरीदशुदा भूमि पर दुकानों का निर्माण किया था। प्रार्थी ने अपने विक्रय पत्र में अंकित भूमि से भी कम भूमि पर निर्माण किया है। हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले भूमि की नपती नहीं की, मनमर्जी से गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भी गलत अंकित किया है। मौके पर प्रार्थी की सिढियों के पश्चात तो एक अन्य दुकान बनी हुई है। प्रार्थी की सिढ़ियां तो स्वयं द्वारा व एक अन्य दूसरी दुकान के मध्य में बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी ने पूर्णतया गलत रिपोर्ट तैयार की है जो मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। प्रार्थी को प्रकरण में दस्तावेज पेश करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। योग्य अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर न कर न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया तथा विधि के स्थापित प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित तकिया है, जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 09.10.2019 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– प्रार्थी ने किसी भी प्रकार खसरा नंबर 711 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव के कारण गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य है। हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले भूमि की नपती नहीं की, मनमर्जी से गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भी गलत अंकित किया है। मौके पर प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.11 18:24:55 IST
Reason: SelfAttested

सिढियों के पश्चात तो एक अन्य दुकान बनी हुई है। प्रार्थी की सिढ़ियां तो स्वयं द्वारा व एक अन्य दूसरी दुकान के मध्य में बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी ने पूर्णतया गलत रिपोर्ट तैयार की है जो मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। प्रार्थी को प्रकरण में दस्तावेज पेश करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। योग्य अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर न कर न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया तथा विधि के स्थापित प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित तकिया है, जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 09.10.2019 को अपास्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी दुड़िया की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरां नंबर 711 रकबा 0.2331 है0 किस्म बंजड़ के 0.005 हैक्टर रकबे पर पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बिना तामील ही प्रार्थी को अनुपस्थित दिखाकर एक पक्षीय आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर दिनांक 09.10.2019 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार खसरा नंबर 711 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने राजनैतिक दबाव के कारण गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि को क्रय किया है तथा उसके पश्चात खरीदशुदा भूमि पर दुकानों का निर्माण किया था। प्रार्थी ने अपने विक्रय पत्र में अंकित भूमि से भी कम भूमि पर निर्माण किया है। हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले भूमि की नपती [illegible] की, मनमर्जी से गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम भी गलत अंकित किया है। मौके पर प्रार्थी की सिढियों के पश्चात तो एक अन्य दुकान बनी हुई है। प्रार्थी की सिढ़ियां तो स्वयं द्वारा व एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.11 13:44:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्य दूसरी दुकान के मध्य में बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी ने पूर्णतया गलत रिपोर्ट तैयार की है जो मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। प्रार्थी को प्रकरण में दस्तावेज पेश करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील सुशील कुमार के नाम से प्रस्तुत की है। जब कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण सरकार बनाम सुनिल कुमार के नाम विचाराधीन रहकर सुनिल कुमार के नाम से बेदखली का आदेश पारित किया गया। धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस भी सुनिल कुमार के नाम से ही जारी किया गया है जिसके पीछे तामील कुनिंदा द्वारा अंकित किया गया है कि पूछताछ करने पर बताया गया कि सुनिल कुमार पुत्र नारायण मल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से साबित है कि उक्त प्रकरण सुनिल कुमार के विरूद्ध जुलाई 2016 में दर्ज होकर दिनांक 09.10.2019 को निर्णत होकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। सभी आदेशिकाओं में अपीलांट को अनुपस्थित दिखाया है और बार–बार तलबी हेतु नोटिस जारी हो लिखा गया है, लेकिन पत्रावली पर अपीलांट की विधिवत नोटिस तामील हुई हो, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 विधिक प्रकिया से बाहर जाकर पारित होने से प्रकरण में विधिक त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी का निर्णय दिनांक 0910.2019 मु. नं. 81/2016 सरकार बनाम सुनिल कुमार निरस्त किया जाता है। पत्रावली नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी को प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विवादित भूमि का आप स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पक्षकारा की उपस्थिति में नपति करवायी जाकर पुनः विधिसम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.11 18:44:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.11 18:44:55 IST
Reason: SelfAttested